

नियम 82 : अभिसाक्षी की पहचान

यदि अभिसाक्षी सत्यापनकर्ता को ज्ञात नहीं है, तो उसकी पहचान उसके किसी परिचित व्यक्ति द्वारा प्रमाणित की जाएगी और पहचान करने वाला व्यक्ति इसके प्रमाण के रूप में अपना हस्ताक्षर करेगा।
